

कार्यालय प्रधानाचार्य मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, प्रयागराज।

संख्या:संविदा पत्रा0/2026/62041

दिनांक 28 जनवरी 2026

मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज के विभिन्न विभागों, ट्रामा सेन्टर एवं सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल (PMSSY) प्रयागराज में संविदा के आधार पर सहायक-आचार्य, सह-आचार्य तथा आचार्य के पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति :-

उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ के आदेश संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक 14.06.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में वर्तमान में 200 सीट वृद्धि एवं पी0जी0सीट संचालित किये जाने के दृष्टिगत मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, प्रयागराज के विभिन्न विभागों, ट्रामा सेन्टर एवं सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल (PMSSY) में रिक्त सहायक-आचार्य, सह-आचार्य तथा आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। निम्न रिक्त पद हेतु इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक-28.02.2026 शाय 5.00 बजे तक प्रधानाचार्य कार्यालय के प्राप्ति एवं प्रेषण (डाक अनुभाग) में अपना आवेदन पत्र समस्त शैक्षिक/जाति/अनुभव प्रमाण-पत्रों/शोध पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति/2फोटो के साथ बायोडाटा सहित संलग्न कर प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 07.03.2026 (दिन शनिवार) को दिन में 1.00 बजे से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में वाक-ईन-इन्टरव्यू पद्धति से साक्षात्कार की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

शासन द्वारा आरक्षण के सम्बन्ध में 100 बिन्दु रोस्टर एवं शासनादेश संख्या 5/2019/4/11/2000/क-2/2019/टी0सी0-1 दिनांक 13 अगस्त 2019 के आधार पर रिक्त पदों का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया जा रहा है।

क्रम सं०	विशिष्टता का नाम	आचार्य (कैटेगरी)	सह-आचार्य (कैटेगरी)	सहायक-आचार्य (कैटेगरी)
1	न्यूरोलॉजी	--	-	01 (UR)-
2	रेडियोडायग्नोसिस	--	01(UR)	
3	सर्जिकल अंकोलोजी	01 (OBC)	01(SC)	-
4	योग	01	02	01

नोट-उक्त दर्शायी गयी रिक्तियों पर कोई छूट देय नहीं है।

कोटि विवरण-(अनुसूचित जाति-(SC) अनारक्षित-(UR)अन्य पिछड़ा वर्ग-(OBC) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-(EWS)) संविदा पर नियुक्ति की शर्त निम्नवत है:-

- 1-शासनादेश संख्या: 119/2018/2842/71-2-2018-33/2018 दिनांक 20 सितम्बर 2018 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी0एम0एस0एस0वाई0) के अन्तर्गत सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय के संचालन हेतु प्राविधानित सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर आचार्य(कन्सलटेन्ट) के रूप में पुर्ननियोजित को एकमुश्त रू0 2,20,000 का मासिक पारिश्रमिक(remuneration)प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें उक्त शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर 2018 के अनुसार होगी।
- 2-संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रू0 2,20,000/- सह आचार्यों का नियत वेतन रू0 1,60,000/- तथा सहायक आचार्य को नियत वेतन रू0 1,20,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदकको Medical Council of India Minimum Qualification for teachers in Medical Institutions Regulations,1998 एवं समय-समय पर संशोधन द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- 3-संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
- 4-चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा(पंचम संशोधन) नियमावली 2018 में निहित व्यवस्था के अनुसार होगी।
- 5-संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी।
- 6-चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में नियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
- 7-साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा/शपथपत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और न ही लम्बित है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

दशाये गये उच्च पद के अनुरूप अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में मरीजों के हित एवं छात्रों के पठन-पाठन के द्वारा उक्त पदों को आवश्यकतानुसार भरे जा सकते हैं।

9- उक्त संविदा पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रधानाचार्य की संस्तुति के आधार पर शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ के माध्यम से की जानी है। अन्तिम चयन की प्रक्रिया शासन/महानिदेशक में ही निहित होगी।

10- संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।

11- उक्त चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त शेष बचे रिक्त पदों पर पुनः चयन हेतु इस कालेज के नोटिस बोर्ड/वेबसाइट <https://mlnmc.edu.in> पर विज्ञापित कर एक सप्ताह बाद आवश्यकतानुसार शनिवार को वाक-ईन-इन्टरव्यू पद्धति से साक्षात्कार की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

13- साक्षात्कार में भाग लेने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12- पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

प्रधानाचार्य,
मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज,
प्रयागराज।

संख्या: संविदापत्रा०/2026/6204

उक्त दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उ०प्र० शासन लखनऊ।

2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, छठौं तल, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त रिक्त पदों का विज्ञापन अपने वेबसाइट <https://mlnmc.edu.in> पर उपलब्ध कराने की कृपा करें।

3- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, प्रयागराज।

4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर/ आगरा/ मेरठ/ झॉसी/ गोरखपुर/ अम्बेडकर नगर/ कन्नौज/ जालौन/ आजमगढ़, सहारनपुर/ बौदा तथा बदायूँ।

5- प्रभारी अधिकारी, एम०सी०आई०/एन०एम०सी० मेडिकल कालेज, प्रयागराज।

6- प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, मेडिकल कालेज, प्रयागराज।

7- कालेज नोटिस बोर्ड।

प्रधानाचार्य,
मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज,
प्रयागराज।